भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 99

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016/31 आषाढ़, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>कारपोरेट धोखाधड़ी</u>

***99. श्री लक्ष्मण गिलुवा:**

श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारपोरेट क्षेत्र विनियामक प्रणाली के पुनरूद्धार के उद्देश्य से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में बाजार अनुसंधान और विश्लेषण इकाई की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस इकाई द्वारा पर्दाफाश किए गए गंभीर धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन मामलों में सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) कितने व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 22.07.2016 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सख्या 99 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): बाजार अनुसधान और विश्लेषण इकाई (एमआरएयू) की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों से की गई थी:

(i) सूचना का संग्रह करना;
(ii) अन्वेषण कौशल में सुधार करना;
(iii) सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाना;
(iv) अन्य जांच एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

एमआरएयू विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करता है। एमआरएयू ने वर्ष 2015-16 में 196 कंपनियों के संबंध में 5 रिपोर्टें कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत की हैं। 16 कंपनियों के संबंध में जांच के आदेश दिए गए हैं।

(ड.): सरकार ने कारपोरेट कपटों (फ्राड) की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कई उपाय किए हैं:-

(i) 'कपट' को कंपनी अधिनियम, 2013 में मुख्य अपराध के रूप में शामिल किया गया है।
(ii) गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को उक्त अधिनियम में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है।
(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन के अधिक कड़े मानकों और उनके कार्यान्वयन के उपबंध शामिल किए गए हैं।
(iv) आंकड़ा विश्लेषण, निगरानी और फोरेंसिक उपकरणों के उपयोग, आदि के माध्यम से कपटों की प्रारंभ में ही पहचान करने के लिए तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया है।

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 928

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016/31 आषाढ़, 1938 (शक) को दिया गया)

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण

928. श्री कंवर सिंह तंवर:
श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण की स्थापना का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं और शक्तियां क्या है;
(ग) क्या सरकार ने एन.सी.एल.टी. की खंडपीठों की स्थापना के लिए स्थानों को चिन्हित किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा कंपनी कानून से संबंधित मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी निकाय के रूप में एनसीएलटी को सुसज्जित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हो?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) को दिनांक 01.06.2016 को अधिसूचित कर दिया गया है। एनसीएलटी को सौंपे गए कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ दमन और कुप्रबंधन के मामले का निर्णय करना, क्लास एक्शन सुइट कंपनी विमोचन के लिए और समय मांगती है तो उन मामलों में असहमत अधिमानी शेयरधारकों के हितों का संरक्षण करना, यदि कंपनियों ने वार्षिक आम बैठकों और असाधारण आम बैठकों का आयोजन न किया हो तो उन्हें ऐसा करने का निदेश देना, कंपनियों के मामलों में जांच का आदेश देने के साथ-साथ ऐसी जांच या अन्वेषण के दौरान कंपनियों की परिसंपत्तियों को जब्त करना और कपट के मामलों में परिसंपत्तियों, संपत्ति या नकदी जब्त करने का आदेश देना शामिल है। एसीएलटी को उसके समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही से संबंधित जांच करवाने, संपत्ति, बही आदि का कब्जा लेने के लिए किसी मजिस्ट्रेट या समाहर्त्ता की मदद लेने और उसके आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध अवज्ञा कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

(ग) और (घ): एनसीएलटी की स्थापना 10 स्थानों अर्थात् नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरू, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में की गई है। एनसीएलटी के अध्यक्ष और सदस्यों ने कार्यभार संभाल लिया है। सभी दस स्थानों पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं और मंत्रालय ने इस निकाय को सहायक स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं।

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 952

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016/31 आषाढ़, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी अधिनियम में संशोधन</u>

952. श्रीमती कमला पाटले:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निदेशकों की भूमिका और कंपनी बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों में उनकी जवाबदेही की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ): सरकार निदेशकों की भूमिका, आदि की समीक्षा पर विचार नहीं कर रही है। तथापि दिनांक 16.03.2016 को संसद में प्रस्तुत किए गए कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में अन्य विषयों के साथ-साथ कुछ निश्चित संव्यवहारों के लिए लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके और निश्चित शर्तों के अधीन कंपनी के किसी इच्छुक निदेशक द्वारा किसी व्यक्ति को दिए जाने वाले ऋण संबंधी संशोधन का प्रस्ताव है।

*****

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 959

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2016/31 आषाढ़, 1938 (शक) को दिया गया)

<u>विदेशी कंपनियां</u>

959. श्री रविन्द्र कुमार जेना:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी विदेशी कंपनियां व्यापार कर रही हैं;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कंपनियों हेतु कंपनी पंजीकरण नियमों में ढील दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान क्षेत्र-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी विदेशी कंपनियां देश में व्यापार करने हेतु पंजीकृत हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): देश में व्यवसाय करने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या दिनांक 14 जुलाई, 2016 के अनुसार 4358 है।

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी कंपनियों के लिए कंपनी पंजीकरण नियमों में ढील नहीं दी गई है।

(घ): गत दो वर्षों अर्थात् 2014 और 2015 देश में व्यापार करने हेतु पंजीकृत विदेशी कंपनियों की क्षेत्र-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्रमश: अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II में दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 22.07.2016 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 959 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले दो वर्षों (2014 और 2015) के दौरान व्यवसाय करने के लिए क्षेत्र-वार पंजीकृत विदेशी कंपनियां

क्र.सं.	**क्षेत्र-वार नाम**	**पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या**
1.	व्यवसाय सेवाएं	206
2.	समुदाय, निजी और सामाजिक	21
3.	निर्माण	21
4.	बिजली, गैस और जल कंपनियां	4
5.	वित्त	6
6.	विनिर्माण (लैदर और उसके बने उत्पाद)	1
7.	विनिर्माण (मशीनरी और उपकरण)	17
8.	विनिर्माण (धातु एवं रसायन और उनसे बने उत्पाद)	7
9.	विनिर्माण (अन्य)	4
10.	विनिर्माण (कपड़ा)	1
11.	खनन एवं उत्खनन	12
12.	व्यापार	26
13.	परिवहन, भण्डारण और संचार	10
14.	अन्य	1
कुल योग		**337**

स्रोत:एमसीए21

अनुलग्नक-II

दिनांक 22.07.2016 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 959 के उत्तर के भाग (घ) में उल्लिखित अनुलग्नक

गत दो वर्षों (2014 और 2015) के दौरान देश में व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पंजीकृत विदेशी कंपनियों की संख्या
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	0
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ़	1
8.	दादर और नगर हवेली	0
9.	दमन और दीव	0
10.	दिल्ली	93
11.	गोवा	0
12.	गुजरात	8
13.	हरियाणा	35
14.	हिमाचल प्रदेश	0
15.	जम्मु और कश्मीर	0
16.	झारखंड	0
17.	कर्नाटक	39
18.	केरल	4
19.	मध्य प्रदेश	3
20.	महाराष्ट्र	96
21.	मणिपुर	0
22.	मेघालय	0
23.	मिजोरम	0
24.	नागालैंड	0
25.	उड़ीसा	0
26.	पुद्दुचेरी	0
27.	पंजाब	1
28.	राजस्थान	5
29.	तमिलनाडु	24
30.	तेलंगाना	4
31.	त्रिपुरा	11
32.	उत्तर प्रदेश	0
33.	उत्तराखण्ड	0
34.	पश्चिम बंगाल	8
योग		**337**

स्रोत:एमसीए21